# न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 38/2019

**प्रार्थी–**

जयनारायण पुत्र सतीदान जाति सेवक निवासी उण्डू तहसील शिव जिला बाड़मेर

***बनाम***

**अप्रार्थीगण–**

1. सरपंच, ग्राम पंचायत उण्डू
2. अचलाराम पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी उण्डू तहसील शिव जिला बाड़मेर

**निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा विक्रय विलेख संख्या 235 दिनांक 08.11.2004 जो ग्राम पंचायत उण्डू द्वारा जारी किया गया।**

उपस्थिति :–

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

## निर्णय

दिनांक : 07.01.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत उण्डू के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 235 दिनांक 08.11.2004 के विरूद्ध दिनांक 25.11.2019 को प्रस्तुत किया गया।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम पंचायत उण्डू द्वारा अप्रार्थीगण सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत उण्डू की आबादी भूमि में पट्टा संख्या 235 दिनांक 08.11.2004 किया गया। ग्राम पंचायत उण्डू द्वारा उक्त पट्टा जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टा की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:33:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत उण्डू का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. हमने प्रार्थी एवं प्रार्थी सं. 2 के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य शुदा भूखण्ड मौजा उण्डू तहसील शिव जिला बाड़मेर में आया हुआ हैं जिसकी पूर्व की भुजा 45 फीट, पश्चिम की भुजा 45 फीट, उत्तर की भुजा 30 फीट, दक्षिण की भुजा 30 फीट एवं पूर्व में आबादी भूमि, पश्चिम में तुलछाराम मगाणी का मकान, उत्तर में सरकारी टांका व आबादी भूमि, दक्षिण में आबादी भूमि आई हुई हैं। उक्त भूखण्ड का हुकमाराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी राजबेरा तहसील शिव के पक्ष में ग्राम पंचायत उण्डू द्वारा पट्टा सं. 75 दिनांक 25.10.1999 को जारी किया गया हैं। उक्त पट्टे का नवीनीकरण पश्चात दिनांक 20.03.2013 को पंजिबद्ध कराया गया हैं। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड हुकमाराम से दिनांक 08.04.2013 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान खरीदा हैं तथा वक्त खरीद से उक्त भूखण्ड पर काबिज चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 2 व अन्य द्वारा प्रार्थी के रहवासी भूखण्ड पर दखलदांजी करना प्रारम्भ कर अवैध निर्माण करने पर उतारू हुए तब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व अन्य के विरूद्ध सिविल न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। इस वाद के संलग्न अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र पर माननीय सिविल न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भवन के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया हैं। अप्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद के संलग्न आलौच्य पट्टा होना प्रकट किया, तब प्रार्थी को सर्वप्रथम ज्ञात हुआ तथा यह निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:33:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि आलौच्य पट्टा जारी करने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की गई हैं। आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व मंगवाई गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट में अप्रार्थी सं. 2 का मकान नहीं होना अंकित हैं, इसके बावजूद भी इस महत्वपूर्ण तथ्य को अनदेखा कर नियम 157 ख के तहत पुराने गृहों के विनियमितीकरण के तहत जारी कर दिया गया हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित किये जाने का नोटिस भी विधिवत रूप से प्रकाशित नहीं किया है, महज खानापूर्ति के लिये पत्रावली में शामिल किया गया है। ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर दो व्यक्तियों के रूबरू चस्पा नहीं किया गया हैं। अप्रार्थी की ओर से आलौच्य पट्टा जारी करने बाबत ग्राम पंचायत कार्यालय में किसी प्रकार शुल्क जमा नही कराई गई हैं। पत्रावली में आज्ञाओं की सूची में दिनांक 08.11.2004 में अंकित किया गया हैं कि अतः बैठक में यह विचार विमर्श कर राज.पं.राज.अधिनियम 1996 के नियम .... के तहत रूपये ... वसूल कर भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। इससे स्पष्ट होता हैं कि पंचायत द्वारा किस नियम के तहत पट्टा जारी किया गया हैं व कितनी शुल्क वसूल योग्य हैं अंकित ही नहीं किया गया हैं, इस आधार पर आलौच्य कार्यवाही एवं पट्टा अनियमित एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य हैं।

6. अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत उण्डू की आबादी भूमि में प्रार्थी कोई भूखण्ड आया हुआ नहीं है। ग्राम पंचायत उण्डू द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टा सं. 235 दिनांक 08.11.2004 को जारी किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जारी पट्टा ग्राम पंचायत उण्डू द्वारा नियमानुसार पुराने गृहों का विनियमितिकरण नियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(ख) के अन्तर्गत जारी किया गया है । ग्राम पंचायत उण्डू की ओर से भूखण्ड का स्थल निरीक्षण समिति द्वारा मौतबिरान के समक्ष निरीक्षण किया गया तथा इसमें किसी प्रकार की आपति नहीं होने से यह पट्टा जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:33:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

किया गया हैं। प्रार्थी का प्लॉट अप्रार्थी के उतर दिशा में गली से आगे का हैं जो भूखण्ड वर्तमान में बालिका विधालय में विलीन हो गया है, इस कारण प्रार्थी इस निगरानी के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 का भूखण्ड हड़प करना चाहता हैं। इस प्रकार प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 2 के भूखण्ड को हड़पने की नियत से परेशान करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना–पत्र आधारहीन एवं मनगढ़त तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया हैं जो खारिज योग्य हैं जो सव्यय खारिज फरमाया जावें।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी का कथन हैं कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य शुदा भूखण्ड मौजा उण्डू तहसील शिव जिला बाड़मेर में आया हुआ हैं जिसकी पूर्व की भुजा 45 फीट, पश्चिम की भुजा 45 फीट, उत्तर की भुजा 30 फीट, दक्षिण की भुजा 30 फीट एवं पूर्व में आबादी भूमि, पश्चिम में तुलछाराम मगाणी का मकान, उत्तर में सरकारी टांका व आबादी भूमि, दक्षिण में आबादी भूमि आई हुई हैं। उक्त भूखण्ड का हुकमाराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी राजबेरा तहसील शिव के पक्ष में ग्राम पंचायत उण्डू द्वारा पट्टा सं. 75 दिनांक 25.10.1999 को जारी किया गया हैं। उक्त पट्टे का नवीनीकरण पश्चात दिनांक 20.03.2013 को पंजिबद्ध कराया गया हैं। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड हुकमाराम से दिनांक 08.04.2013 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान खरीदा हैं तथा वक्त खरीद से उक्त भूखण्ड पर काबिज चला आ रहा है। इस प्रकार प्रार्थी का ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर पुराना कब्जा अनुमत एवं विधिवत होना प्रकट होता हैं, इसके विपरित अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टे से सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन करने पर स्वामित्व एवं आधिपत्य के [illegible] साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा भी सार्वजनिक आपत्तियां [illegible] जाने का नोटिस भी दो व्यक्तियों के रूबरू ग्राम [illegible] एवं संबंधित स्थल पर सदृश स्थान पर चस्पा नहीं किया गया हैं एवं मौका कमेटी द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण में भी अप्रार्थी सं. 2 के आधिपत्य के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:33:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

नहीं किया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा संधारित आज्ञाओं की सूची में अंतिम आज्ञा मे अंकित किया हैं कि अतः बैठक में यह विचार विमर्श कर राज.पं. राज.अधिनियम 1996 के नियम .... के तहत रूपये ... वसूल कर भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। इससे स्पष्ट होता हैं कि पंचायत द्वारा किस नियम के तहत पट्टा जारी किया गया हैं व कितनी शुल्क वसूल योग्य हैं अंकित ही नहीं किया गया हैं, इस आधार पर ग्राम पंचायत का विनिश्चय अपूर्ण एवं अनियमित अवैध होने से निरस्त योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत उण्डू द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा सं. 235 एवं उससे सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यवाही को अपास्त किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:33:56 IST
Reason: SelfAttested